

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 144/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-8 dated 06 February, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 144/2018/18(120)/ XXVII(8)/2017/CTR-8
Dehradun :: Dated:: 06 February, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to exempt the State tax on intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are given in corresponding entry in column (2), from so much tax as specified in Schedule IV of Notification of Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 514/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4), of the said Table, on the value that represent margin of the supplier, on supply of such goods.

Table

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	Old and used, petrol Liquified petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%

2.	8703	Old and used, diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%
3	8703	Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. Explanation. - For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.	9%
4.	87	All Old and used Vehicles other than those mentioned from S. No. 1 to S.No.3	6%

Explanation –For the purposes of this notification, -

- (i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income-Tax Act,1961(43 of 1961)on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored; and
- (ii) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored.

2. This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid, on such goods.

3. This notification shall deemed to come into force from the 25th January, 2018.



(Radha Raturi)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-8

देहरादून:: दिनांक:: 06 फरवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उन वस्तुओं की अन्तःराज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 29 जून, 2017 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने राज्य कर से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जितना कि वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल लिविफाईड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित मोटरवाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटरवाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	9%
2.	8703	1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटरवाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटरवाहनों का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	9%
3.	8703	पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलिटी व्हीकल्स भी आते हों। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो।	9%

4.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न	6%
----	----	---	----

स्पष्टीकरण -इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -


- i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें कि उक्त वस्तु के मूल्यहास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
 - ii. अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017, की धारा 2 की उपधारा (63) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित है या मूल्यवर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।
 3. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं० 144/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-8 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव